न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री दुर्गाप्रसाद मीणा R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 104 / 2023

निर्णय दिनांक :– 15/06/2023

उनवानी प्रार्थना पत्रः–

1. कुलदीप पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी सरोली, तहसील दूनी, जिला टोंक राज0
2. पृथ्वीराज पुत्र मदनलाल जाति जाट निवासी सरोली, तहसील दूनी, जिला टोंक राज0
3. मोहनी देवी पत्नी स्व0 मदनलाल जाति जाट निवासी सरोली, तहसील दूनी, जिला टोंक राज0

–प्रार्थी –

बनाम

तहसीलदार दूनी तहसील दूनी जिला टोंक (राज.)

–अप्रार्थी –

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल0 आर0 एक्ट आर.टी.ए

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि खातेदारी की आराजी भूमि खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 1699 / 877 रकबा 0.09 है, खसरा नम्बर 1700 / 1097 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थी द्वारा उक्त भूमि की नाप चोक कराई थी, जिसके सीमा चिन्ह मिट चुके है। प्रार्थीगण व अडोस पडोस के खातेदारों के मध्य सीमा व कब्जे को लेकर गम्भीर विवाद होने की संभावना है। प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार न्यायालय को प्राप्त है। अतः उक्त आराजी बाबत् श्रीमान तहसीलदार देवली को नियमानुसार आदेश फरमाया जावे।

अप्रार्थी तहसीलदार दूनी की तलबी जारी की गई।

तहसीलदार दूनी द्वारा जवाब / रिपोर्ट पेश की जो निम्न प्रकार है :– उक्त आराजी प्रार्थी की खातदारी में दर्ज है व कब्जे काश्त की है।

आवेदक का अन्य पडोसी खातेदार खसरा नम्बर 1099 राजेन्द्र पुत्र बिरधीलाल जाति महाजन, खसरा नम्बर 1724/877 व 1725/1097 राजेश पुत्र लक्ष्मीकान्ता, सोहनी पुत्री लक्ष्मीकान्ता(पत्नी गोपीलाल जाट), खसरा नम्बर 1097 कैलाशी पत्नी मनराज मनराज(पुत्री किशनलाल जाट) खसरा नम्बर 875 सीताराम पुत्र रामनिवास, सत्यनारायण पुत्र रामनिवास व सुरेन्द्र पुत्र रामनिवास व खसरा नम्बर 876/1401 भगवान दत्तक पुत्र बजरंगा व लक्ष्मण पुत्र नन्दा जाति गुर्जर से सीमा विवाद होना बताया है। जिन खातेदारों से सीमा विवाद है उनको पक्षकार नही बनाया है। उक्त आराजी के सम्बंध में किसी न्यायालय में स्थगन नही है और पूर्व में सीमाज्ञान नही हुआ है।

पत्रावली बहस में नियत की गई ।

अधिवक्त प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार करने की प्रार्थना की। पत्रावली का अवलोकन किया, अधिवक्ता प्रार्थी बहस पर मनन किया। तहसीलदार दूनी की बिन्दूवार रिपोर्ट अनुसार प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है। अतः तहसीलदार दूनी का एतत् द्वारा आदेशित किया जाता है कि प्रार्थी व पडोसी खातेदारान की उपस्थिति में प्रार्थी नियमानुसार पत्थरगढी/सीमाज्ञान शुल्क राजकोष में जमाकर जमाबंदी सम्वत् 2074-77 में अंकित खाता संख्या 251 खसरा नम्बर 1699/877 रकबा 0.09 है, खसरा नम्बर 1700/1097 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम सरोली तहसील दूनी जिला टोंक की विधिवत् पत्थरगढी, प्रार्थी/प्रार्थीगण का उक्त आराजी पर कब्जा होने पर की जावे अन्यथा उक्त आराजी का सीमाज्ञान कर प्रार्थी को अवगत करावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। नियमानुसार बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली